

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

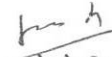
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-193) अलेसे-1/25

दिनांक:- 11/04/2019

कार्यालय आदेश

श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I (लिंक नं. 3175) को विभागीय आदेश क्रमांक 889 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा प्री 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन संशोधन दल में कोषालय (पेंशन), जयपुर में सेकिण्डमेन्ट आधार पर लगाया गया था, जिसके क्रम में श्री कालानी के पदस्थापन कार्यालय प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर ने अवगत कराया है कि इनका दिनांक 11.01.2019 से वेतन का आहरण किया जाना संभव नहीं है।

अतः श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I का दिनांक 11.01.2019 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि का बकाया वेतन का भुगतान निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-193) अलेसे-1/25

दिनांक:- 11/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. कोषाधिकारी (पेंशन), जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
5. श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कोषालय (पेंशन), जयपुर।
6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. रक्षित निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्षिक-1)